न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 206 / 2015

1. बेगम बानो पत्नी स्व. रमजानी उर्फ रमजान खां जाति कायमखानी निवासी मोहल्ला बटवालान झुंझुनू। (मृतक)
2. ईकबाल पुत्र स्व0 रमजानी उर्फ रमजान खां जाति कायमखानी, निवासी मोहल्ला बटवलान, झुंझुनूं।
3. मु0 पेपली उर्फ मुमताज पुत्री स्व0 रमजानी उर्फ रमजान खां पत्नि खुर्शीद खां, जाति कायमखानी, निवासी मेायल कॉलोनी, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. मु0 कलसुम पुत्री स्व0 रमजानी उर्फ रमजान खां, पत्नि अली खां, जाति कायमखानी, निवासी कालती हवेली के पास, मोहल्ला बटवलान, झुंझुनूं।
5. मु0 रोशनी बानो पुत्री स्व0 रमजानी उर्फ रमजान खां पत्नि युसुफ खां, जाति कायमखानी, निवासी नगीना मस्जिद् के पास, खोखर कोलोनी, वार्ड न0 22, झुंझुनूं तहसील व जिला।
6. मु0 बसो उर्फ बिस्मिला बानो स्व0 रमजानी उर्फ रमजान खां, पत्नि ईकबाल खां, जाति कायमखानी, निवासी ईमाम नगर कबाडी के पीछे, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट्स

बनाम

1. अनवर हुसैन पुत्र इमामुदीन खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. उम्मेद अली पुत्र इमामुदीन खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. शेरूदीन पुत्र इमामुदीन खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. गुलाम हुसैन पुत्र सन्नू खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. अब्दुल सतार पुत्र सन्नू खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. उस्मान अली पुत्र सन्नू खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. [illegible] पुत्र सन्नू खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. आसिफ पुत्र सन्नू खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. [illegible] पुत्र रसूल खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
10. [illegible] पुत्र रसूल खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
11. [illegible] हुसैन पुत्र रसूल खां जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झ

तहसील व जिला झुंझुनूं।
जाति कायमखानी, निवासीगण मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

12. शबीर पुत्र स्व0 रमजानी उर्फ रमजान खां, जाति कायमखानी, निवासी मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
13. रफीक पुत्र स्व0 रमजानी उर्फ रमजान खां, जाति कायमखानी, निवासी मोहल्ला बटवालान, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट्स

——

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 3292 आदेश दिनांक 27.11.2015 न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं

——

उपस्थित

1. श्री तैयब हुसैन, एडवोकेट, अपीलांट की ओर से
1. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट सं0 1,2,7,8,9,11 की ओर से
2. श्री आमिर हुसैन, रेस्पोडेन्ट सं0 12 व 13 की ओर से
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेंट सं0 14 की ओर से

आदेश

दिनांक 26.10.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 27.11.2015 नामान्तरकरण संख्या 3292 वाके ग्राम झुंझुनूं के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण [illegible] अपीलान्ट्स के अनुसार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 3165 रकबा 3.14 हैक्ट [illegible] कस्बा झुंझुनूं मे स्थित भूमि अपीलान्ट नं0 1 के पति व अपीलान्ट्स नं0 2 लगायत 6 [illegible] रेस्पोडेन्ट नं0 12 व 13 के पिता रमजानी उर्फ रमजान खां की कब्जे काश्त व खातेदारी की भू[illegible] उक्त रमजान खां को विवादित भूमि सन् 1961 मे जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र के प्राप्त हुई थ[illegible] उक्त रमजानी उर्फ रमजान खां ने उक्त दान को स्वीकार करके उक्त भूमि खस[illegible] 3165 वाके कस्बा झुंझुनूं पर अपना कब्जा प्राप्त कर लिया था इस प्रकार सन् 1961 [illegible] रमजानी उर्फ रमजान खां का मौके पर कब्जा होने के कारण व कब्जे व दान पत्र [illegible] बाकायदा बाद जांच करके उक्त भूमि का नामान्तरकरण रमजानी उर्फ रमजान खां [illegible] तस्दीक किया गया था तब से लेकर उक्त रमजानी उर्फ रमजान खां व अपीलान्टगण [illegible] अराजी खेत खसरा नम्बर 3165 पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त च[illegible] अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा उनवानी मुकदमा अनवर हु[illegible] मु0 बेगम बानो वगैरह नं0 मु0 69/2014 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.[illegible] ने तत्काल दिनांक 27.11.2015 को उक्त आदेश पारित किया है जबकि उ[illegible] की अपील की समय सीमा भी समाप्त नही हुई थी। मात्र निर्णय के दो दिन ब[illegible] नं0 1 लगायत 11 को फायदा पहुचाने के लिए उक्त आदेश पारित किया है। न्याया[illegible] अधिकारी झुंझुनूं ने उनवानी मुकदमा अनवर हुसैन वगैरह बनाम बेगम बानो वगैरह [illegible] ने उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2015 बिना कोई विधिक प्रक्रिया अप

नियत तारीख पेशी से पहले बिना अपीलान्टगण को सुने कानून विरूद्व व नियम विरूद्व पारित किया है जिसमे अपीलान्टगण हाजिर होकर तनकीयात हेतु जबाबदेही पेश कर रखी थी तथा मसावली वास्ते कायमी तनकीयात हेतु नियत थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व न तो तनकीयात कायम की और ना ही अपीलान्टगण को सुनवाई का मौका दिया गया और ना ही अपीलान्टगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो को एडोप्ट किये बगैर ही नियम विरूद्व जाकर कानून विरूद्व यह निर्णय व डिक्री पारित की गई थी जिसके विरूद्व बाकायदा मजबूत आधारों पर अपीलान्टगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनूं के यहां उक्त निर्णय व डिक्री की अपील पेश की तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के उक्त आलौच्य निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति को स्थगित करते हुए रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित किया है। आज भी मौके पर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट नं0 12 व 13 का कब्जा काश्त है तथा सन् 1961 से अपीलान्टगण के पिता व अपीलान्टगण काबिज चले आ रहे है विवादित आराजी खेत खसरा नम्बर 3165 पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 11 का न कभी पहले कब्जा था और ना ही अब है। नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व यह आवश्यक शर्त है अर्थात कानूनन दस्तावेजी अधिकार के साथ–साथ मौके पर कब्जा होने पर ही नामान्तरकरण कानूनन नियमानुसार तस्दीक किया जा सकता है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 11 का कभी भी कब्जा नही रहा और ना ही सन् 1961 से तक तक कोई टाईटल रहा है। भूमि खसरा नम्बर 3165 रकबा 3.14 हैक्टर वाके कस्बा झुंझुनूं मे स्थित भूमि बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के यहां एक दावा उनवानी मुकदमा मु0 बानो वगैरह नं0 मु0 192/2015 विचाराधीन है जिसके साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी उनवानी मु0 बानो बनाम कासम वगैरह नं0 मु0 155/2015 विचाराधीन है उक्त प्रकरण मे रेस्पोटेन्टगण व तहसीलदार झुंझुनूं भी पक्षकार फरीक है तथा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे दिनांक 17.11.2015 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.12.2015 तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित कर रखा था। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 3165 के मौके व रिकार्ड की दिनांक 17.11.2015 से दिनांक 16.12.2015 तक यथास्थिति बनाये रखने का उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं का आदेश होने के बावजूद भी इस बीच अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय झुंझुनूं ने दिनांक 27.11.2015 को रेस्पोन्ट नं0 1 लगायत 11 के पक्ष मे नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश संख्या 3292 पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के आदेश का उल्लंघन किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं का नामान्तकरण संख्या 3292 स्वीकृति आदेश दिनांक 27.11.2015 को अपास्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान दस्तावेज किता 2 पेश किये तथा अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का आदेश विधिसम्मत नही है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 3292 आदेश दिनांक 27.11.2015 नियम विरूद्ध है। वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण के बीच आपसी राजीनामा हो चुका है। अतः अपीलान्ट की अपील

जिला कलक्टर झु

स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3292 पर पारित आदेश दिनांक 27.11.2018 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 7, 8, 9, 11 की ओर से वकील श्री शिवनारायण सिंह एवं रेस्पोडेन्ट सं0 12 व 13 की ओर से श्री आमिर हुसैन ने वकील अपीलान्ट के कथनों पर सहमति जाहिर की तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार करने मे कोई ऐतराज नही होना जाहिर किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा मुताबिक आदेश नामान्तकरण स0 3292 पर दिनांक 27.11.2015 को आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अपीलान्ट् की अपील में कोई फोर्स नही है, खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण संख्या 3292 दिनाक 27.11.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 24.11.2015 के पालना में तस्दीक किया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के उक्त आदेश दिनांक 24.11.2015 को न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा विचाराधीन अपील संख्या 212/2015 में पारिते आदेश दिनांक 29.06.2017 द्वारा खारिज कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। साथ ही प्रकरण में पक्षकारों के मध्य दिनांक 10.09.2020 को आपस में राजीनामा कर लिया है। जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण दर्ज हुआ है वह निरस्त हो चुका है तथा पक्षकारान के मध्य भी राजीनामा हो चुका है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3292 पर पारित आदेश दिनांक 27.11.2015 को निरस्त किया जाता है तथा अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के यहां विचाराधीन वाद में आदेश पारित होने पर या अन्य सक्षम न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/10

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनूं